

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का निधन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, मृत्यू प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 1- 08104004930012100028/2020 एवं 2- 08101001000000503829/2020 के अनुसार उनके नाम सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ के नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

क्रम	नाम व्याख्याता	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	कृष्ण कुमार दौचाणिया	इतिहास	साहडोली-अलवर	20.08.1973	23.11.2020	23.11.2020
2	दीपिका हेमकार	वाणिज्य	तोपदड़ा- अजमेर	21.10.1983	14.10.2020	14.10.2020

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 14-01-2021

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/2020/II
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 7 संबधित शाला/संस्था प्रधान, राउमावि, साहडोली-अलवर / तोपदड़ा- अजमेर को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण/हितकारी निधि अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर